## SBI

ट्रांजैक्शन बैंकिंग – सोलूशन्स और विशेष परियोजना विभाग
कॉरपोरेट सेंटर, दूसरी मंजिल, मफतलाल केंद्र, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021
ई–मेल: dgmprojects.dtb@sbi.co.in वेबसाइट: https://bank.sbi, https://www.sbi.co.in

**निविदा आमंत्रण सूचना**

आरएफपी न. SBI/TB-S&SP/PS/PROJECTS/2024-25/004 दिनांक: 13.01.2025 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वेअरेबल सोल्युशन की खरीद, प्रसंस्करण, निजीकरण और आपूर्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए, कृपया **https://bank.sbi/, https://www.sbi.co.in, https://etender.sbi/** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज देखें.

बोलियां दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि और समय: 13.01.2025 को 15:00 बजे से
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 10.02.2025 को 15:00 बजे तक

**स्थान:** मुंबई — उप महाप्रबंधक (परियोजना)
**दिनांक:** 14.01.2025 — टीबी–सोलूशन्स और विशेष परियोजना विभाग

## Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited

"SARAS SANKUL" J.L.N. MARG, JAIPUR – 302017, Ph. No. 2702281-90 | Direct: 0141-2702271
Website: www.rcdfindia.com, E-Mail: tenderrcdf@gmail.com

No. :- RCDF/Mktg./F.6 (1118)/ 2024-25/44494-535 — Dated :- 10/01/2025

**NOTICE INVITING E-TENDERS**

Single Stage Two Parts unconditional online e-Tenders/e-Bids are invited by Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd., Jaipur for **"Transportation of Skimmed Milk Powder (SMP) under Mid-Day-Meal, ICDS and other similar Govt. Schemes from RCDF affiliated designated Milk Unions to all Govt. Primary, Upper Primary Schools, Madarsa & Anganwadi centre in Rajasthan with door step delivery for a period of 12 months (UBN No. CDF2425SLRC01118)"** as per details given in the respective bid document.

The Complete Bidding Documents can be visited and downloaded from our website **www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in** and **www.sppp.rajasthan.gov.in.** E-Bids shall be submitted only on **http://eproc.rajasthan.gov.in.**

Raj.Samwad/C/24/10266 — General Manager (Mktg.)

## पंजाब एण्ड सिंध बैंक / Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
शाखा: के यू एम साहिबाबाद लिंक रोड, साइट IV इंडस्ट्रियल एरिया
साहिबाबाद गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश। ई–मेल: s0775@psb.co.in

**परिशिष्ट IV**
**कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 07.10.2024 जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री ललित त्यागी पुत्र श्री बलराज सिंह त्यागी, श्रीमती बबीता त्यागी पत्नी श्री ललित त्यागी और श्री कृष्णन त्यागी पुत्र श्री सतीश कुमार त्यागी** से सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 12,06,789.88 (रुपये बारह लाख छह हजार सात सौ नवासी और अठासी पैसा मात्र)** को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर कर्जदार तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का **08 जनवरी, 2025** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के लिए कोई भी लेन–देन राशि **रु. 12,06,789.88/–** और इस पर ब्याज के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

उप पंजीयक–II, गाजियाबाद के कार्यालय में बही न. 1, अंक 12461 पेज न. 227–288 पर दिनांक 30.05.2017 को पंजीकृत पंजीकरण संख्या 4924 द्वारा संपत्ति फ्लैट न. ए–1/111, प्रथम तल (छत अधिकार रहित) सिग्नेचर होम्स, मोहल्ला राजपुरम, ग्राम–सदरपुर, गाजियाबाद के समस्त भाग व खंड।
**संपत्ति की सीमाएँ:** उत्तर में फ्लैट न. 110, दक्षिण में फ्लैट न. 112
पूर्व में अन्य संपत्ति, पश्चिम में कॉरिडोर और सीढ़ियाँ

दिनांक: 08.01.2025, स्थान: गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

फलवल शाखा: 13976 (सी) मोती कॉलोनी, बाई पास रोड, पलवल - 121102 (हरियाणा)
दूरभाष: 91-01275-240100, 240101
ई-मेल: palwal@bankofbaroda.com

**कब्जा सूचना**
**[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अधीन]**

चूंकि, **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **दिनांक 14.10.2024** को एक **मांग सूचना** जारी की थी, जिसमें कर्जदार/गारंटीदाता **मैसर्स नंद किशोर जैन पुत्र श्री एमी चंद जैन** मकान नं. ईपी 175 मोहल्ला काजीवाड़ा, पलवल, हरियाणा, जिसका परिमाप 140 वर्ग यार्ड है, को कथित मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर **रु. 6,17,338.80 (रुपये छह लाख सतरह हजार तीन सौ अड़तीस एवं पैसे अस्सी मात्र)** के साथ दिनांक 14.10.2024 तक लागू ब्याज एवं दिनांक 15.10.2024 से आगे के ब्याज के साथ कानूनी शुल्क, लागत, अन्य व्यय इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटीदाता द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटीदाताओं एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **8 जनवरी, 2025** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटरीदाताओं तथा आम तौर पर सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 6,17,338.80 (रुपये छह लाख सतरह हजार तीन सौ अड़तीस एवं पैसे अस्सी मात्र) के साथ दिनांक 14.10.2024 तक लागू ब्याज, आप** ऊपर उल्लेखित रकम पर अनुबंधकीय दर पर **भविष्य के ब्याज की रकम चुकता करने के लिए भी जिम्मेदार हैं**, साथ में दिनांक 14.10.2024 से प्रभारी सभी आकस्मिक व्यय, लागत शुल्क इत्यादि (भुगतान की गई रकम घटाकर) के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रभार का विषय होगा।

*कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।*

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

मोहल्ला काजीवाड़ा, पलवल, हरियाणा में स्थित 140 वर्ग यार्ड परिमाप का मकान नं. ईपी 175.

दिनांक : 08.01.2025 — अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा
स्थान : पलवल

## इंडियन बैंक / Indian Bank

इलाहाबाद — ALLAHABAD
अभय खंड, इंदिरापुरम, ग्राउंड फ्लोर, महालक्ष्मी स्कवेयर, सी–1, अभयखंड II, इंदिरापुरम

**परिशिष्ट IV (नियम 8(1))**
**कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)**

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मौजूदा सूचना में वर्णित राशि **रु. 10,07,973/– (रुपए दस लाख सात हजार नौ सौ तिहत्तर केवल)** का भुगतान करने के लिए हमारी **अभय खंड शाखा** के साथ ऋणी **श्री अक्षय पांडा पुत्र श्री माहेश्वर पांडा व श्रीमती अनुपमा पांडा पत्नी श्री अक्षय पांडा** को बुलाने हेतु **08.10.2024** को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **09 जनवरी, 2025** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन राशि **रु. 10,07,973/– (रुपए दस लाख सात हजार नौ सौ तिहत्तर केवल)** और उसपर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

**हम ऋणी का ध्यान प्रतिभूतियों पर छूट के अपने अधिकारों के साथ लेन–देन के तहत सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) और उससे तहत बने नियमों के प्रावधानों के लिए आमंत्रित करते हैं।**

**अचल संपत्ति का विवरण**

फ्लैट नं. एनके–1/734–ए, ईडब्ल्यूएस, पहली मंजिल, न्याय खंड– I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201010 के सभी भाग व शेष माप 19.505 वर्ग मीटर
**सीमाएं निम्नानुसार:** उत्तर: ब्लॉक, दक्षिण: फ्लैट नं. 735/ए पूर्व: फ्लैट नं. 731/ए, पश्चिम: फ्लैट नं. 733/ए व ग्राउंड फ्लोर पर सड़क

दिनांक: 09.01.2025 स्थान: गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

## भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड / Container Corporation of India Ltd.

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Government of India)
एरिया–II कार्यालय, एमएसआईसी, न्यू इण्डस्ट्रीज़ बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली–110020

**सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना**
**ई–नीलामी के माध्यम से अस्पष्ट/अदावाकृत कॉर्गो का निपटान**

कॉनकॉर **"जैसा है जहां है"** और **"कोई शिकायत नहीं आधार"** पर 24.01.2025 (शुक्रवार) को ई–नीलामी के माध्यम से एरिया–2 के विभिन्न टर्मिनलों पर कंटेनर/वस्तुओं (एक्जिम के लिए सीबीआईसी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार) की नीलामी आयोजित करने जा रहा है। कॉनकॉर की ओर से मैसर्स एमएसटीसी एक ई–नीलामी आयोजित कर रहा है और नीलामी के नियम व शर्तों के साथ विस्तृत विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें। सभी संबंधित व्यक्ति जिनके कंटेनर/सामान अस्पष्ट/अदावाकृत पड़े हैं एवं किसी विवाद के कारण, अदालत/अधिकरण/अन्य द्वारा रोक या ऐसे किसी कारण से वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में आते हैं, वे एरिया हेड, एरिया–2/कॉनकॉर के साथ–साथ संबंधित स्थानों के सीमा शुल्क आयुक्त को इस सूचना के 07 (सात) दिनों के भीतर सूचित कर सकते हैं अन्यथा और कोई सूचना दिए बगैर वस्तुओं की नीलामी कर दी जाएगी।

**संदर्भ: CON/A-II/AUIF/Auction/2024-25/03** — एरिया हेड/एरिया – 2

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, हौजखास शाखा
ई-मेल: INDHAU@bankofbaroda.co.in

**बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लॉकर धारकों - लॉकरों के किराए के भुगतान में चूककर्ताओं के लिए सूचना**

यह हमारे मूल्यवान ग्राहकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक की नीचे उल्लिखित शाखाओं में लॉकर किराए पर लिए है और समझौते का उल्लंघन किया है। आरबीआई/बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किराएदारों को उनके दर्ज पते पर सूचनाएं भेज दी गई है। लॉकर धारकों से उनके दर्ज पते पर संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए है और उनका वर्तमान ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सका है।
इस प्रकार कोई विकल्प न होने पर, नीचे नामित सभी व्यक्तियों को नीचे उल्लिखित शाखाओं से संपर्क करने और दिनांक **18-01-2025** तक बैंक की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए यह सूचना जारी की जा रही है, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लॉकर तोड़ने की कार्रवाई करेगा और बैंक के बकाया किराए, तोड़ने की लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए अपने वैध अधिकार का प्रयोग करेगा।

| क्र.सं. | लॉकर धारक का नाम | शाखा का नाम | लॉकर नं. | अतिदेय राशि | सेवित अंतिम सूचना | तोड़ने खोलने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रेम टोकस | हौजखास | 2275Ax0845(पुराना नं.430) | रु.11,151/- | 30-09-2024 | 20-01-2025 |
| 2 | i) सिंधु चौधरी, ii) सुभाष कुमारी | हौजखास | 2275Ax0620(पुराना नं.231) | रु.11,371/ | 30-09-2024 | 20-01-2025 |

तारीख: 13.01.2025, स्थान: नई दिल्ली — अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

## प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

भारत सरकार का उपक्रम (प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: गंगा विहार, सेक्टर-2, मुरादाबाद (उ.प्र.)

**क्षेत्रीय कार्यालय: गाजियाबाद**
18, संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, संजयनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)
फोन– 0120–2986071
E-mail: rmgzb@prathamaupbank.com

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)**

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथमा यू. पी. ग्रामीण बैंक (पूर्वनाम सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, भारत सरकार संयुक्त अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है) के प्राधिकृत अधिवक्ता ने संबंधित ऋणी के नाम के सामने दर्शाए गए खाते के पटल नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणीगों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणीगों और जन–सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी निम्नतः पद नाम नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का SYMBOLIC कब्जा ले लिया है। ऋणीगों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों से किसी भी प्रकार का लेन–देन प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

| क्रम सं. | शाखा का नाम | ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम) | बंधक रखी गई सम्पत्तियों का विवरण | मांग/पजेशन विपकाए गए नोटिस की तारीख | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दादरी | ऋणी: श्रीमती रजनी पत्नी अनूप। गारंटर: श्री सुमित भाटी पुत्र देवेन्द्र सिंह भाटी। खाता नं. 9143ND00003091. | आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 2195, मोहल्ला सुंदर नगर (शिव वाटिका कॉलोनी, विद्या हॉस्पिटल के पीछे), उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक दादरी के बही सं0 1, जिल्द सं0 9983 पृष्ठ सं0 1 से 30 क्र0 सं0 16894 दिनांक 21.10.2016 पर दर्ज है। क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व: सेढ़ 18 फिट चौड़ा, पश्चिम: बी पी सिंह का प्लॉट, उत्तर: विनोद का प्लॉट, दक्षिण: अन्य का प्लॉट। | मांग नोटिस की तिथि 18.09.2024 पजेशन की तिथि 09.01.2025 | रु. 4,36,806/- + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे। |
| 2. | बागपत | ऋणी: श्री सईद पुत्र एहमीद, गारंटर: श्री मो. चंद पुत्र हाजी इकबाल, श्री सलमान बुढ़ैसी पुत्र मो. फरमान, खाता नं 92428700002778 & 9242JH00004219. | आवासीय मकान, आबादी मोहल्ला शेख व्यापारियान, बागपत नगर पालिका सीमा के अंदर, जिला बागपत। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक बागपत के बही सं0 1, जिल्द सं0 4308 पृष्ठ सं0 51 से 72 क्र0 सं0 3321 दिनांक 10.05.2011 पर दर्ज है। क्षेत्रफल 30.10 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व: हाजी अब्दुल लई का घर, पश्चिम: हाजी सत्तू का घर, उत्तर: गली 4 फिट चौड़ी, दक्षिण: हाजी अख्तर का मकान। | मांग नोटिस की तिथि 05.09.2024 पजेशन की तिथि 10.01.2025 | रु. 6,71,090.25 + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे। |
| 3. | बागपत | ऋणी: श्री शाकिर पुत्र इकबाल सिंह व महाराणा खातून पत्नी शाकिर, गारंटर: श्रीमती बानो पत्नी महमूद फरमान, खाता नं 92429300000233. | आवासीय मकान, आबादी मुगलपुरा, बागपत नगर पालिका सीमा के अंदर, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, जिला बागपत। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक बागपत के बही सं0 1, जिल्द सं0 5438 पृष्ठ सं0 345 से 380 क्र0 सं0 6208 दिनांक 15.09.2024 पर दर्ज है। क्षेत्रफल 44.31 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व: वाली मोह. और मुख्तार का घर, पश्चिम: नाला, उत्तर: वाली मोह. और मुख्तार का घर, दक्षिण: रास्ता 15 फिट। | मांग नोटिस की तिथि 24.10.2024 पजेशन की तिथि 10.01.2025 | रु. 4,93,644.73 + देय ब्याज + देय अन्य खर्चे। |

दिनांक 14.01.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय– दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड–1, नई दिल्ली–110005,
दूरभाष सं: 011.28754615, 28754642
ईमेल आईडी : law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank

**अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल / अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना**

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधकृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक अधिग्रहण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा किया जा चुका है, का विक्रय **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर निम्नांकित तिथि पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहां नीचे अंकितानुसार देय–भुगतेय राशियों की वसूली हेतु किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का वर्णन भी यहां नीचे किया गया है :

| क्र. सं. | शाखा नाम एवं पता | होलुम्बी शाखा; होलुम्बी खुर्द, मान पब्लिक स्कूल के पास, होलुम्बी, दिल्ली, 110082 मोबाइल नं. 9997478034 | देय राशि : |
|---|---|---|---|
| 1. | उधारकर्ता एवं गारंटर / रों के नाम | श्री राकेश कुमार (उधारकर्ता), डीडीए, जनता फ्लैट, नं. 15 ग्राउंड फ्लोर, पॉकेट 11 सेक्टर एच नरेला दिल्ली 110040, इसके अलावा : मकान नं. 1036, थाना पापोसिया, मानूपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली– 110040 श्री कर्मवीर पुत्र लाल चंद (गारंटर) मकान नं. 1029, थाना पापोसिया, मानूपुर, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली, 110040 | रु. 8,12,621.74 (आठ लाख बारह हजार छह सौ इक्कीस रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) प्लस ब्याज और उस पर शुल्क |

संपत्ति : डीडीए जनता फ्लैट नंबर 15, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक I, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6 नरेला दिल्ली 110040, उत्तर की ओर अन्य फ्लैट, दक्षिण: प्रवेश मार्ग, पूर्व: खुला, पश्चिम: फ्लैट नंबर 14
ई–नीलामी की तिथि और समय : 29.01.2025, दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) ई–नीलामी वेबसाइट– https://baanknet.com
आरक्षित मूल्य : रु. 8,30,000/– (आठ लाख तीस हजार रुपये मात्र), जमा की जाने वाली बयाना राशि – ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य का 10%।
बोली वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/– (दस हजार रुपये मात्र)।
*अनिवार्य रूप से, संपत्ति/संपत्तियों की पहली बोली आरक्षित मूल्य + एक वृद्धि होगी। यह राशि बोली में भाग लेने के लिए न्यूनतम बोली राशि होगी।

| क्र. सं. | शाखा नाम एवं पता | होलुम्बी शाखा; होलुम्बी खुर्द, मान पब्लिक स्कूल के पास, होलुम्बी, दिल्ली, 110082 मोबाइल नं. 9997478034 | देय राशि : |
|---|---|---|---|
| 2. | उधारकर्ता एवं गारंटर / रों के नाम | श्री सुधीर कुमार मिश्रा, डीडीए, जनता फ्लैट, नं. 45, द्वितीय तल, पी.के.टी. 11, सेक्टर ए 6, नरेला, दिल्ली– 110040. पता भी : मकान नं. 322, बी ब्लॉक, इंपर एन्क्लेव II, निकारी सुल्तानपुर, नई दिल्ली– 110086 श्री शिव दुबे (गारंटर) बी-239, इंपर एन्क्लेव 2, निकारी सुल्तानपुरी, बी ब्लॉक, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली– 110086 | रु. 7,61,491.03 (सात लाख इकसठ हजार चार सौ इक्यानबे और तीन पैसे मात्र) प्लस ब्याज और उस पर शुल्क |

संपत्ति: डीडीए, जनता फ्लैट, नंबर 45, द्वितीय तल, सेक्टर–ए–6, नरेला, दिल्ली– 110040 का वह पूरा हिस्सा, उत्तर की ओर अन्य फ्लैट, दक्षिण: प्रवेश/मार्ग/फ्लैट नंबर 43, पूर्व: मार्ग फिर खुला, पश्चिम: फ्लैट नंबर 44
ई–नीलामी की तिथि और समय : 29.01.2025, दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) ई–नीलामी वेबसाइट–https://baanknet.com
आरक्षित मूल्य : रु. 5,80,000/– (पांच लाख अस्सी हजार रुपये मात्र), जमा की जाने वाली बयाना राशि– ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य का 10
बोली वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र)।
*अनिवार्य रूप से, संपत्ति/संपत्तियों की पहली बोली आरक्षित मूल्य + एक वृद्धि होगी। यह राशि बोली में भाग लेने के लिए न्यूनतम बोली राशि होगी।

| क्र. सं. | शाखा नाम एवं पता | दीपाली चौक शाखा; जे.जीएफ–287, तरुण एन्क्लेव पीतमपुरा नई दिल्ली–110034 मोबाइल नं. 7827325422 | देय राशि : |
|---|---|---|---|
| 3. | उधारकर्ता एवं गारंटर / रों के नाम | 1. मैसर्स शेन इम्पेक्स, प्रोप: श्री जतिन बत्रा, ई–128, सेक्टर–5, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली–110039 2. श्री जतिन बत्रा पुत्र राकेश बत्रा, मकान न: 93, पॉकेट–12, सेक्टर–24, रोहिणी, दिल्ली–110085 3. श्री राकेश बत्रा, मकान संख्या: 93, पॉकेट–12, सेक्टर–24, रोहिणी, दिल्ली–110085 | रु. 15.84 लाख साथ में 11.05% प्रति वर्ष की दर से ब्याज |

संपत्ति: संपूर्ण तीसरी मंजिल का वह पूरा टुकड़ा (छत/छत के अधिकार सहित) चार मंजिला निर्मित श्री होल्ड संपत्ति का हिस्सा जिसका नंबर: 93, पॉकेट–12, क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर, सेक्टर–24 में, रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली–110085 के लेआउट प्लान में स्थित है, श्री जतिन बत्रा पुत्र श्री राकेश बत्रा के नाम पर। सीमाएँ: पूर्व: प्रवेश, पश्चिम: प्लॉट नं: 86, उत्तर: प्लॉट नं: 94, दक्षिण: प्लॉट नं: 92।
ई–नीलामी की तिथि और समय : 29.01.2025, दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) ई–नीलामी वेबसाइट– https://baanknet.com
आरक्षित मूल्य : रु. 42,30,000/– (बयालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र), जमा की जाने वाली बयाना राशि– ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य का 10
बोली वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/– (दस हजार रुपये मात्र)।
* अनिवार्य रूप से, संपत्ति/संपत्तियों की पहली बोली आरक्षित मूल्य + एक वृद्धि होगी। यह राशि बोली में भाग लेने के लिए न्यूनतम बोली राशि होगी।

**नियम एवं शर्तें :**

1. ई–नीलामी **"जैसी है जहां है" और "जैसी है जो है आधार"** पर आयोजित की जा रही है।
2. सफल बोलीदाता को नीलामी के अंत में उसके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने के तुरंत बाद बोली राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, जिसमें बोली राशि सम्मिलित होगी, और शेष भुगतान बिक्री की पुष्टि होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर करना होगा। भुगतान, आरटीजीएस/एन-ईएफटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के खाते में **29–01–2025** को या उससे पहले किया जाना है, इस तरह के भुगतान में चूक पर संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा और चूककर्ता खरीदार का कोई दावा नहीं होगा और पहले से भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
3. कोई भी वैधानिक और अन्य देयक राशि जो या तो अर्जित या पहले से ही देय हो, उसका भुगतान संपत्ति के खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति/यों के नामांकिकार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और खुद निरीक्षण करके स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श के उपरांत प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है।
5. "सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत निविदान करने में विफल रहने की स्थिति में, उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी प्रतिभूत ऋणदाता के पास जब्त कर ली जाएगी और स्वीकार की गई बोली स्वचालित रूप से निरस्त हो जाएगी"।
6. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने, टेंडर अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे https://baanknet.com से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को अपने मोबाइल नंबर और वैध ईमेल–आईडी का उपयोग करके https://baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। उन्हें आगे केवाईसी दस्तावेज और बैंक विवरण अपलोड करने की आवश्यकता है।
7. पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए support.BAANKNET@psballiance.com पर ई–मेल करें।
8. ईएमडी भुगतान / धनवापसी से संबंधित प्रश्नों के लिए support.BAANKNET@psballiance.com पर ई–मेल करें।
9. पंजीकरण और लॉगिन और बोलीदान नियमावली के लिए https://baanknet.com और https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auctionproperty.aspx पर जाएं और "लॉगिन और पंजीकरण के लिए खरीदार गाइड" पर क्लिक करें।
10. किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए शाखा प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं।
11. आय कर नियम के अनुसार, सफल नीलामी क्रेता द्वारा नीलामी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस का भुगतान किया जाना है।

**(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://baanknet.com, www.unionbankofindia.co.in का संदर्भ ग्रहण करें)**

**सरफेसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना**

उधारकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा आनुषंगिक व्ययों के साथ उपरांकिता-नुसार राशि का भुगतान करें, ऐसा करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री की जायेगी और बकाया राशियों, यदि कोई हों, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 13-01-2025, स्थान : दिल्ली — प्राधिक